2011-(7)

प्र०-1 राईलैंड बनाम फ्लेचर के बाद के सिद्धांत की नवीनतम विधिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिये ।

रायलैण्ड्स बनाम **फ्लैचर** में सृजित नियम को कठोर दायित्व का नियम: इसलिए कहा जाता है कि इसके अन्तर्गत प्रतिवादी के दोषयुक्त आचरण के बिना ही उसका दायित्व उत्पन्न होता है । क्योंकि कई आपवादित स्थितियों में इस नियम के अन्तर्गत दायित्व उत्पन्न नहीं होता इसलिए इसे 'पूर्ण दायित्व' का नियम नहीं कहते।

रायलैण्ड्स बनाम **फ्लैचर** के मामले में प्रतिवादी ने एक स्वतन्त्र ठेकेदार से एक जलाशय का निर्माण कराया। इस जलाशय का निर्माण उसने अपनी भूमि पर अपनी मिल को जल की आपूर्ति करने के लिये कराया था। इस जलाशय के निर्माण स्थान के नीचे संगुप्त सुरंगें थीं, जिसका आभास ठेकेदार नहीं कर सका और परिणामतः यह सुरंग बन्द नहीं की गई जलाशय जब जल से भरा गया तो जल इन सुरंगों के रास्ते से बगल की भूमि में स्थिति वादी की कोयले की खान में भर गया । प्रतिवादी को इस सुरंग का ज्ञान नहीं था और न ही उसका कार्य उपेक्षा से युक्त था। प्रतिवादी यद्यपि उपेक्षावान नहीं थे परन्तु उन्हें न्यायाधिपति ब्लैकबर्न द्वारा प्रतिपादित निम्न सिद्धान्त के आधार पर उत्तरदायी ठहराया गया।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

"हमारा यह विचार है कि विधि का यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिये अपनी भूमि पर किसी भी ऐसे वस्तु को लाता है उसको वहाँ पर रखता है जो यदि वहाँ से निकल जाये तो सम्भाव्यतः क्षति कारित कर सकती है, तो ऐसा व्यक्ति उस वस्तु को अपनी भूमि पर अवश्यत: अपनी ही जोखिम पर रखे, और वह यदि ऐसा नहीं करता तो वह प्रथम दृष्टया (Prima Facie) उस समस्त हानि के लिये उत्तरदायी है जो वह वस्तु वहां से निकल जाने के स्वाभाविक परिणाम से कारित हुई है। वह युह दर्शित करके अपने को बचा सकता है कि वह वस्तु स्वयं वादी की गलती से निकल कर बाहर चली गई थी, अथवा यह कि उस वस्तु का निकल जाना देवकृत (Vimajor act of god) का परिणाम था। परन्तु चूंकि, इस मामले में ऐसा कुछ भी घदित नहीं हुआ है, इसलिये इस बात की जाँच करता अनावश्यक है इनमें से कौन सा हेतुक क्षमा के लिये पर्याप्त है।"

इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु, अर्थात् कोई ऐसी वस्तु जो ट्ठिस सीमा से बाहर निकल जाने पर सम्भाव्यतः क्षति कारित कर सकती है, लाता है और उसको वहाँ पर करखता है, सो वह उस वस्तु के वहाँ से निकल कर बाहर चले जाने के कारण हुई क्षति के लिये प्रथम दृष्ट्या शिउत्तरदायी होगा चाहे भले ही वह उसको अपनी भूमि में रखने पर उपेक्षावान न रही हो। ऐस व्यक्ति केवल इसलिये उत्तरदायी नहीं होता कि उसकी कोई गलती थी अथवा यह कि वह एक उपेक्षावान व्यक्ति था,

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

बल्कि वह इसलिये उत्तरदायी होता है क्योंकि वह कुछ खतरनाक वस्तु अपनी भूमि पर रखता है, और वह वस्तु उस स्थान से बाहर निकल गई है और उससे क्षति कारित हुई हैं। इस प्रकार के किसी मामले में चूंकि प्रतिवादी की ओर से बिना किसी उपेक्षा का कार्य किये ही उत्तरदायित्व का सृजन हो जाता है, इसलिये इसको कठोर उत्तरदायित्व के नियम के रूप में जाना जाता है।

एक्सचेकर चेम्बर के न्यायालय में न्यायाधिपति ब्लैकवर्न द्वारा निम्पादित् किये गुये उपर्युकत नियम के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त भी हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा उस समय जोड़ दी गई जब मामला अपील में जब समक्ष लाया गया। यह धारित किया गया कि इस नियम के अन्तर्गत उत्तरदारयित्व का सुजन तभी होगा भूमि का उपयोग सहज स्वाभाविक न ही। यह स्थिति स्वयं रायलैण्डस बनामे प्लैचर फे मामले में विद्यमान थी। इस प्रकार, इस नियम के प्रवर्तन के निमित्त निम्नलिखित तीन संघटकों की उपस्थिति आवश्यक है -

(1) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भुमि पर कुछ खतरनाक वस्तु-(dangerous thing) अवश्य ही लाई गई हो।

(2) इस पर लाई गई अथवा रखी गई वस्तु अवश्य ही सीमा सें निकलकर बाहर (escape) चली गई हो

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(3) इस प्रकार किसी वस्तु की भूमि पर रखा जाना भूमि का सहज स्वाभाविक उपयोग न हो।

(1) खतरनाक वस्तु (Dangerous thing) इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की भूमि से किसी वस्तु के सीमा से बाहर निकलने से उत्तरदायित्व का उदय तब होता है जब संग्रहीत वस्तु कोई खतरनाक वस्तु हो अर्थात् वह ऐसी वस्तु हो जो सीमा से बाहर निकलने के बाद क्षति कारित कर सकती है। रायलैण्ड्स बनाम फ्लेचर में इस प्रकार संग्रहीत की गई वस्तु जल की एक विशाल मात्रा थी।

2) वस्तु का बचकर सीमा से बाहर निकलना (Escape of the thing) **रायलैण्डस** बनाम **फ्लेचर** की नियम लागू होने के लिये यह भी आवश्यक है कि वस्तु जिसने क्षति कारित की है यह निकलकर ऐसे किसी क्षेत्र में चली जाये तो प्रतिवादी के अधिभोग और नियन्त्रण में नहीं है। इस स्थिति का स्पष्टीकरण रीढ़ त्नाम ल्वायन्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड के बाद से किया जा सकता है। इस मामले में वादी प्रतिबादी के गोला बारूद के कारखाने में एक कर्मचारी थी। प्रतिवादी के परिसर के भीतर जब वह अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रही थी, तब एक गोला, जिसका वहां निर्माण हो रहा था, फट गया और उसके कारण बादी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रतिवादी की ओर से उपेक्षापूर्ण । कार्य किये जाने का कोई प्रमाण नहीं था। यद्यपि कि वह गोला, जिसका विस्फोट हुआ था, एक खतरनाक वस्तु की कोटि में आता था, फिर भी, यह धारित किया गया कि

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि प्रतिवादी के परिसर के बाहर निकलकर नहीं गई थी, अते: इस मामले में रायलैण्ड्स बनाम फ्लैचर का नियम लागू नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी धारित किया गया कि विषैले वृक्षों की डालों को पड़ोसी की भूमि पर फैलने देना किसी वस्तु का खीमा से बाहर निकलना है। और यदि पड़ोसी की भूमि पर विधिपूर्ण रीति से विद्यमान पशु इन वृक्षों की पत्तियों को खाकर विषग्रस्त हो जाते हैं तो इस नियम। के अन्तर्गत प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। परन्तु जहां वादी के घोड़े के ही स्वयं प्रतिवादी की सीमा के भीतर अनधिकृत प्रवेश किया है और एक विषैले वृक्ष के पत्ते खाने के कारणा मर जाता है, वहाँ प्रतिवादी उत्तरद्रायी, नहीं होगा क्योंकि मामले में किसी वस्तु की सीमा के बाहर जाने से क्षति कारित नहीं हुई।

(3) भूमि का असहज-अस्वाभाविक प्रयोग (Non-natural use of land)

रायलैण्ड्स बनाम **फ्लैचर** के मामले में अपनी भूमि पर एक जलाशय में अतिशय मात्रा में जल का एकत्र किया जाना भूमिका असहज अस्वाभाविक प्रयोग (non-natural use)माना गया है। घर के सामान्य प्रयोजनों के लिये जल का एकत्र किया जाना सहज स्वाभाविक प्रयोग (natural use) माना गया है। भूमि का प्रयोग तभी असहज अस्वाभाविक प्रयोग माना जाता है जब वह कोई विशेष प्रयोग हो जिससे दूसरों के प्रति खतरा बढ़ जाये और वह भूमि का मात्र साधारण प्रयोग न हो जो कि समुदाय के सामान्य हित के लिये हो । सोचाकी बनाम सास के मामले में यह धारित किया गया है कि यदि किसी मकान में

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

P.G.S National College Of Law

अंगीठी की अन्दर आग जलाई जाती है तो वह कमरे में स्थापित आग का साधारण सहज स्वाभाविक, उचित और दिन प्रतिदिन का प्रयोग है। यदि यह आग समीप के परिसरों तक में फैल जाती है। तो रायलैण्ड्स बनाम फ्लेचर के अन्तर्गत उत्तरदायित्व नहीं बनता। इसी प्रकार, नोवल बनाम हैरिसन के बाद में यह धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की भूमि पर ऐसे वृक्ष उगे हैं जो जहरीले नहीं हैं तो वह भूमि का असहज स्वाभाविक प्रयोग नहीं है। इस मामले में प्रतिवादी की भूमि पर उगे जहरीले वृक्ष की एक डाल जो राजमार्ग के ऊपर तक फैली थी, अचानक टूट गई और वादी की गाड़ी पर गिर पड़ी जो उस राजमार्ग से गुजर रही थी। डाल के टूट कर गिरने का वृक्ष में कुछ अदृश्य खराबी थी। यह धारित किया गया प्रतिवादी को रायलैण्डस बनाम फ्लैचर के नियम के अन्तर्गत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वृक्षों का उगना भूमि का सहज अस्वाभाविक प्रयोग है। किन्तु किसी विषैले वृक्ष का भूमि पर उगना भूमि का असहज अस्वाभाविक प्रयोग है और पड़ोसी की भूमि के पशु ऐसे वृक्ष की पत्तियों को खाकर मर जाते हैं सी प्रतिवादी इस नियम के अन्तर्गत उत्तरदायी होगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

2011 (7)

प्र०-2 उपेक्षा के अवश्यक तत्व क्या हैं ! योग्दायी उपेक्षा के बचाव के रूप में कहाँ तक प्रस्तुत किया जा सकता हैं!

अपकृत्य विधि में उपेक्षा के दो अर्थ हैं-

अपकृत्य विधि में उपेक्षा के दो अर्थ हैं

(1) उपेक्षा का एक अर्थ है किसी अपकृत्य को उपेक्षापूर्वक कारित करना। उदाहरण के लिये असावधानी के साथ अतिचार, न्यूसेन्स अथवा मानहानि कारित करना। इस प्रकार के मामलों में उपेक्षा का एक प्रकार की मानसिक स्थिति का द्योतक है।

(2) उपेक्षा को एक पृथक अपकृत्य भी माना जाता है। इस रूप में इसका तात्पर्य एक ऐसा आचरण है जो क्षति कारित करने की जोखिम का सृजन करता है। यहां उपेक्षा का तात्पर्य मानसिक स्थिति नहीं है। हाउस ऑफ लार्ड्स ने डोनोघ बनाम स्टेवेन्सन के वाद में उपेक्षा को उस स्थिति में स्वयं अपने आप में एक विनिर्दिष्ट अपकृत्य माना है। जहाँ सावधानी बरतने का कर्तव्य है, परन्तु सावधानी नहीं बरती गई।

इस अध्याय के अन्तर्गत उपेक्षा के उपर्युक्त द्वितीय भावबोध में इस पर अध्ययन किया जा रहा है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

जैसा कि हेवेन बनाम पेण्डर के वाद में धारित किया गया है, "कार्यवाही योग्य उपेक्षा किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति सामान्य सावधानी अथवा कौशल के प्रयोग में उपेक्षा का बरतना है जिसके प्रति प्रतिवादी सामान्य सावधानी और कौशल के आचरण का कर्तव्य धारणा करता है और जिस उपेक्षा के परिणामस्वरूप वादी को अपने शरीर अथवा सम्पत्ति की क्षति भोगनी पड़ी।" उपेक्षा की कार्यवाही में वादी को निम्न संघटन सिद्ध करने पड़ते हैं

1. प्रतिवादी वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य धारण करता था।
2. प्रतिवादी ने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया।
3. वादी को उसके परिणामस्वरूप क्षति अथवा हानि हुई।

1. वादी के प्रति सावधानी के बर्ताव का कर्तव्य (Duty of care towards the plaintif)

वादी के प्रति सावधानी के बर्ताव का कर्तव्य एक विधिक कर्तव्य का द्योतक है, न कि मात्र किसी नैतिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कर्तव्य का। वादी को यह साबित करना पड़ता है कि प्रतिवादी उसके प्रति सावधानी का बर्ताव करने का एक विशेष विधिक कर्तव्य धारण करता था और प्रतिवादी ने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया ऐसे कर्तव्य की परिभाषा प्रस्तुत करने के लिये विधि का कोई

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

सामान्य नियम नहीं है। यह प्रत्येक मामले को स्थिति पर निर्भर करता है कि क्या प्रतिवादी ऐसा कोई कर्तव्य धारण करता है अथवा नहीं।

सावधानी के बर्ताव का कर्तव्य क्षति की युक्तियुक्तक पूर्वकल्पना पर निर्भर करता है(Duty to take care depends on reasonable foreseability of injury)

क्या प्रतिवादी वादी के प्रति किसी प्रकार का कर्तव्य धारण करता है अथवा नहीं, इस बात पर निर्भर

करता है कि क्या वह वादी के प्रति किसी प्रकार की क्षति का युक्तियुक्तक पूर्वानुमान कर सकता है । यदि कार्य अथवा लोप के समय प्रतिवादी वादी के प्रति किसी क्षति की युक्तियुक्तक पूर्वकल्पना कर सकता है तो वह उस क्षति के निवारण का कर्तव्य धारण करता है और यदि वह उसमें विफल होता है तो वह उत्तरदायी होगा। सावधानी रखने का कर्तव्य किसी ऐसी वस्तु को करने अथवा उसका लोप होने से बचाना है, जिसके करने अथवा लोप हो जाने के युक्तियुक्तक और सम्भाव्य परिणाम के रूप में किसी की क्षति हो सकती है, और यह कर्तव्य उस व्यक्ति के प्रति धारित किया जाता है, जिसको, इस कर्तव्य को न किये जाने के कारण युक्तियुक्ततः और सम्भाव्यतः क्षति होना पूर्वानुमानित किया जा सकता है । यह निर्णीत करने में कि किसी निश्चित परिस्थिति में कितनी सावधानी का बर्ताव किया जाना चाहिये एक उपयोगी

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

मापदण्ड यह है कि एक सामान्य सतर्क व्यक्ति को कितना जोखिम प्रत्यक्ष दिखता था ।

एस० धनवानी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के वाद में एक रात को वर्षा के कारण भरी हुई खाई में एक व्यक्ति फिसल गया। अपने आप को बचाने के लिये उसने निकट के एक बिजली के खम्भे को पकड़ा जिसमें करेंट के रिसाव से उसकी मृत्यु हो गई। उस मत्य के लिये प्रत्यर्थी (respondent) जो कि बिजली के खम्भों को रख-रखाव कर रहे थे उपेक्षा के लिये उत्तरदायी ठहराया गया।

मद्रास उच्च न्यायालय के अन्य वाद, टी० गजयालक्ष्मी बनाम सेक्रेट्री, पी० डब्ल्यू० डी० गवर्नमेण्ट ऑफ तमिलनाडु,8 में भी इसी प्रकार का ही निर्णय हुआ। इसमें एक सड़क के ऊपर लगा बिजली का तार टूट कर एक साइकिल सवार पर गिर गया तथा उसकी विद्युत के करेंट में मृत्यु हो गई। इसके लिये बिजली बोर्ड को उपेक्षा के लिये उत्तरदायी ठहराया गया। यहां पर तार टूटने का कारण दैवकृत (act of God) नहीं माना गया तथा प्रत्यर्थी (respondent) को उसके लिये मुआवजा देने का दायी ठहराया गया। रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाम बेजलुम बीबी के वाद में एक अत्यन्त लदी हुई बस के कण्डक्टर ने कुछ यात्रियों को बस की छत पर यात्रा करने के लिये आमंत्रित किया। रास्ते में बस एक बैलगाड़ी से आगे निकल जाने के प्रयास में पथ से दाईं ओर गई, जिसके

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

परिणामस्वरूप बस की छत पर बैठा एक यात्री ताहिर शेख, एक वृक्ष की लटकती डाल से झटका लग जाने के कारण छत से नीचे गिर पड़ा और उसे सिर, छाती आदि पर अनेकों चोटें भी लगीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की माँ वेलजुम बीबी द्वारा की गई कार्यवाही में यह धारित किया गया कि बस के ड्राइवर और कण्डक्टर दोनों व्यक्तियों की ओर से बस के संचालन में उपेक्षा बरती गई थी और प्रतिवादी उसके लिये उत्तरदायी थे। बुकर बनाम बेनवॉर्न0 के वाद में प्रतिवादी एक रेलगाड़ी में तब सवार हुआ जबकि रेलगाड़ी उसी समय चली थी। उसने डिब्बे का दरवाजा बन्द नहीं किया। वादी जो एक कुली था प्लेटफार्म के किनारे पर खड़ा था। उसे दरवाजे का धक्का लगा और वह क्षतिग्रस्त हो गया। यह धारित किया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी था, क्योंकि वह व्यक्ति, जो एक गति पकड़ती रेलगाड़ी में सवार हो रहा है रेलगाड़ी के समीप प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य रखता है।

यात्रियों के सवार होने के पूर्व ही बस को चलाना उपेक्षाकारी कार्य है। ईश्वर देवी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया!! के वाद में शामलाल मलिक नामक एक व्यक्ति दिल्ली में फराश खाना बस अड्डे पर खडा होकर बस की प्रतीक्षा कर रहा था। डी० टी० यू० की एक बस जब अड्डे पर आई तो उसमें सवार होने के लिये उसने बस के पावदान पर अपना पैर रखा, और वह अभी बस में प्रविष्ट

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

भी न कर पाया था कि बस के कण्डक्टर ने अत्यन्त जल्दबाजी में घंटी बजा दी और ड्राइवर ने बस को चला दिया। ड्राइवर ने एक पहले से ही आगे खड़ी बस को इतनी निकटता से उसे पार कर उससे आगे जाने का प्रयत्न किया कि शामलाल मलिक दोनों बसों के बीच निष्पीड़ित और पिस सा गया। इस प्रकार गरम्भीरतम रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के परिणामस्वरूप अन्ततः उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक की विधवा द्वारा की गई कार्यवाही में यह धारित किया गया कि ड्राइवर और कन्डक्टर दोनों ही यात्रियों की संरक्षा के सन्दर्भ में लापरवाह थे।

जौहरी लाल बनाम **पी० सी० एच० रेड्डी** के वाद में प्रतिवादी ने, जो ट्रक का ड्राइवर था, मोटर यान अधिनियम की धारा 83 के अतलिंघन में एक व्यक्ति को अपने बगल में बैठा लिया। उसकी दृष्टि चूंकि उसके बायें तरफ इस व्यक्ति को बैठा लेने के कारण प्रतिबाधित हो गई थी, अतः तरफ चल रहे एक स्कूटर रिक्शा को देख सकने में चूक कर दी । ट्रक इस स्कूटर रिक्शा में भिड़ गया जिसके सड़क पर अपने से बायें परिणामस्वरूप स्कूटर रिक्शा उलट गया और वादी को चोट लगी। यह धारित किया गया कि ड्राइवर द्वारा अपने बायीं ओर किसी व्यक्ति को बिठाना मात्र ही यह स्थापित करता है कि ट्रक का ड्राइवर लापरवाह था, अतः उसे उत्तरदायी माना गया।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

क्षति की जहाँ पूर्व कल्पना नहीं, वहाँ उत्तरदायित्व भी नहीं (No liability when injury not foreseeable)

केट्स बनाम **मोन्गिनी ब्रदर्स** के मामले में वादी जो एक जलपान गृह की एक महिला आगन्तुक थी, छत के पंखे के गिर जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। पंखे के गिरने का कारण आलम्बन छड़ की धातु की कोई अदृश्य खराबी थी। यह खराबी ऐसी थी कि उसका पता लगाना किसी युक्तियुक्तक व्यक्ति द्वारा किया जाना सम्भव नहीं था। प्रतिवादियों के विरुद्ध जो उस जलपान गृह को चलाते थे, की गई कार्यवाही में यह धारित किया गया कि चूंकि क्षति का पूर्वानुमान किया जाना सम्भव नहीं था, अतः प्रतिवादीगण उसके लिये उत्तरदायी नहीं थे और वे महिला वादी की क्षति के निमित्त भी उत्तरदायी नहीं थे।

युक्तियुक्तक पूर्वकल्पनीयता का तात्पर्य दूरवर्ती सम्भाव्यता नहीं है (Reasonable foreseeability does not mean remote possibility)

उपेक्षा की प्रस्थापना के लिये इतना साबित कर देना नहीं है कि क्षति पूर्वकल्पनीय थी, बल्कि यह दिखलाया जाना आवश्यक है कि क्षति की युक्तियुक्तक सम्भाव्यता थी। सावधानी बरतने का कर्तव्य सम्भाव्यताओं के विपरीत चौकसी करता है कि केवल दूरस्थ सम्भावनाओं के विपरीत।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

फार्डन बनाम **हरकोर्ट-रेविन्गटन** के वाद में प्रतिवादी ने अपनी कार सड़क के बगल में खड़ी कर दी और कार के भीतर एक कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ता कार के भीतर कूदने लगा जिसके परिणामस्वरूप शीशे के एक फलक से उसकी टक्कर हो गई। शीशे के फलक का एक टुकड़ा टूट कर वादी को उस समय लग गया, जब वह कार के समीप से गुजर रहा था। एक टुकड़े के लगने के कारण वादी क्षतिग्रस्त हो गया । यह धारित किया गया कि इस दुर्घटना के घटित होने की अत्यन्त कम सम्भावना थी। प्रतिवादी की तरफ से संरक्षा बरतने में कोई उपेक्षा नहीं की गई थी, अत: यह उत्तरदायी नहीं था।

चिकित्सा व्यवसाय में कर्तव्य (Duty in Medical Profession)

किसी भी व्यवसाय में लगे हुये व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे उस विशेष व्यवसाय के विषय में आवश्यक ज्ञान होगा तथा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित सतर्कता और सावधानी से करेगा। किसी भी व्यवसाय में अपेक्षित सतर्कता तथा सावधानी का मापदण्ड उस व्यवसाय विशेष में किसी विशेष वर्ग में लगे व्यक्तियों से अपेक्षित सावधानी से स्तर पर निर्भर करता है । उदाहरणत: किसी शल्य चिकित्सक (surgeon) अथवा निश्चेतक (anaesthetist) को उस विशेष व्यवसाय में लगे सामान्य पेशेवर के मापदण्ड से आंका जाएगा । किसी विशेषज्ञ से उच्चतर कोटि की निपुणता एवं कौशल की अपेक्षा की जाती है।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

डॉक्टर को मरीज के इलाज करने के लिये उपस्थित होना चाहिये (Doctor's duty to attend to a patient)

यदि कोई डॉक्टर इमरजेंसी में दाखिल मरीज के इलाज के लिये कई बार बुलाने पर भी अस्पताल नहीं आता तथा अपने निजी कार्य में लगा रहता है तो ऐसे मरीज की इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु के लिये वह उत्तरदायी होगा।

चिकित्सक का सावधानी बरतने का कर्तव्य (Doctor's duty to be careful) एक चिकित्सा व्यवसायी को मरीज के प्रति सावधानी के निम्न कर्तव्यों का पालन करना चाहिये :

(1) किसी रोगी को इलाज के लिये लेना है या नहीं प्रश्न को सावधानीपूर्वक तय करना चाहिये।

डॉ० टी० टी० थामस बनाम **एलिसर** के वाद में केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संकटकाल में रोगी की जान बचाने के लिये डाक्टर द्वारा शल्यक्रिया (operation) करने से इन्कार करना डॉक्टर की उपेक्षा माना जायेगा। इस मामले में आँत के पुच्छ की सूजन (appendicitis) से गम्भीर रूप से ग्रस्त रोगी को डॉक्टर ने शल्य क्रिया करने से इन्कार कर दिया तथा समय पर

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

उपयुक्त इलाज के अभाव में रोगी की मृत्यु हो गई, उसके लिये डॉक्टर को उपेक्षा का दोषी ठहराया गया ।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

2012 (7)

प्र०-3 "रैलैंड्स बनाम फ्लैचर " में प्रतिपादित सिद्धांत की व्याख्या कीजिये । इसके अपवाद क्या है ? पूर्ण दायित्व के सिद्धांत से यह किस प्रकार भिन्न है।

रायलैण्ड्स बनाम **फ्लैचर** में सृजित नियम को कठोर दायित्व का नियम: इसलिए कहा जाता है कि इसके अन्तर्गत प्रतिवादी के दोषयुक्त आचरण के बिना ही उसका दायित्व उत्पन्न होता है । क्योंकि कई आपवादित स्थितियों में इस नियम के अन्तर्गत दायित्व उत्पन्न नहीं होता इसलिए इसे 'पूर्ण दायित्व' का नियम नहीं कहते।

रायलैण्ड्स बनाम **फ्लैचर** के मामले में प्रतिवादी ने एक स्वतन्त्र ठेकेदार से एक जलाशय का निर्माण कराया। इस जलाशय का निर्माण उसने अपनी भूमि पर अपनी मिल को जल की आपूर्ति करने के लिये कराया था। इस जलाशय के निर्माण स्थान के नीचे संगुप्त सुरंगें थीं, जिसका आभास ठेकेदार नहीं कर सका और परिणामतः यह सुरंग बन्द नहीं की गई जलाशय जब जल से भरा गया तो जल इन सुरंगों के रास्ते से बगल की भूमि में स्थिति वादी की कोयले की खान में भर गया । प्रतिवादी को इस सुरंग का ज्ञान नहीं था और न ही उसका कार्य उपेक्षा से युक्त था। प्रतिवादी यद्यपि उपेक्षावान नहीं थे परन्तु उन्हें न्यायाधिपति ब्लैकबर्न द्वारा प्रतिपादित निम्न सिद्धान्त के आधार पर उत्तरदायी ठहराया गया।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

"हमारा यह विचार है कि विधि का यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिये अपनी भूमि पर किसी भी ऐसे वस्तु को लाता है उसको वहाँ पर रखता है जो यदि वहाँ से निकल जाये तो सम्भाव्यतः क्षति कारित कर सकती है, तो ऐसा व्यक्ति उस वस्तु को अपनी भूमि पर अवश्यत: अपनी ही जोखिम पर रखे, और वह यदि ऐसा नहीं करता तो वह प्रथम दृष्टया (Prima Facie) उस समस्त हानि के लिये उत्तरदायी है जो वह वस्तु वहां से निकल जाने के स्वाभाविक परिणाम से कारित हुई है। वह युह दर्शित करके अपने को बचा सकता है कि वह वस्तु स्वयं वादी की गलती से निकल कर बाहर चली गई थी, अथवा यह कि उस वस्तु का निकल जाना देवकृत (Vimajor act of god) का परिणाम था। परन्तु चूंकि, इस मामले में ऐसा कुछ भी घदित नहीं हुआ है, इसलिये इस बात की जाँच करता अनावश्यक है इनमें से कौन सा हेतुक क्षमा के लिये पर्याप्त है।"

इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु, अर्थात् कोई ऐसी वस्तु जो िष्ठस सीमा से बाहर निकल जाने पर सम्भाव्यतः क्षति कारित कर सकती है, लाता है और उसको वहाँ पर करखता है, सो वह उस वस्तु के वहाँ से निकल कर बाहर चले जाने के कारण हुई क्षति के लिये प्रथम दृष्ट्या शिउत्तरदायी होगा चाहे भले ही वह उसको अपनी भूमि में रखने पर उपेक्षावान न रही हो। ऐस व्यक्ति केवल इसलिये उत्तरदायी नहीं होता कि उसकी कोई गलती थी अथवा यह कि वह एक उपेक्षावान व्यक्ति था,

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

बल्कि वह इसलिये उत्तरदायी होता है क्योंकि वह कुछ खतरनाक वस्तु अपनी भूमि पर रखता है, और वह वस्तु उस स्थान से बाहर निकल गई है और उससे क्षति कारित हुई हैं। इस प्रकार के किसी मामले में चूंकि प्रतिवादी की ओर से बिना किसी उपेक्षा का कार्य किये ही उत्तरदायित्व का सृजन हो जाता है, इसलिये इसको कठोर उत्तरदायित्व के नियम के रूप में जाना जाता है।

एक्सचेकर चेम्बर के न्यायालय में न्यायाधिपति ब्लैकवर्न द्वारा निम्पादित् किये गुये उपर्युकत नियम के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त भी हाउस ऑफ लार्ड्स द्वारा उस समय जोड़ दी गई जब मामला अपील में जब समक्ष लाया गया। यह धारित किया गया कि इस नियम के अन्तर्गत उत्तरदारयित्व का सुजन तभी होगा भूमि का उपयोग सहज स्वाभाविक न ही। यह स्थिति स्वयं रायलैण्डस बनामे प्लैचर फे मामले में विद्यमान थी। इस प्रकार, इस नियम के प्रवर्तन के निमित्त निम्नलिखित तीन संघटकों की उपस्थिति आवश्यक है -

(1) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भुमि पर कुछ खतरनाक वस्तु-(dangerous thing) अवश्य ही लाई गई हो।

(2) इस पर लाई गई अथवा रखी गई वस्तु अवश्य ही सीमा सें निकलकर बाहर (escape) चली गई हो

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(3) इस प्रकार किसी वस्तु की भूमि पर रखा जाना भूमि का सहज स्वाभाविक उपयोग न हो।

(1) खतरनाक वस्तु (Dangerous thing) इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की भूमि से किसी वस्तु के सीमा से बाहर निकलने से उत्तरदायित्व का उदय तब होता है जब संग्रहीत वस्तु कोई खतरनाक वस्तु हो अर्थात् वह ऐसी वस्तु हो जो सीमा से बाहर निकलने के बाद क्षति कारित कर सकती है। रायलैण्ड्स बनाम फ्लेचर में इस प्रकार संग्रहीत की गई वस्तु जल की एक विशाल मात्रा थी।

2) वस्तु का बचकर सीमा से बाहर निकलना (Escape of the thing) **रायलैण्डस** बनाम **फ्लेचर** की नियम लागू होने के लिये यह भी आवश्यक है कि वस्तु जिसने क्षति कारित की है यह निकलकर ऐसे किसी क्षेत्र में चली जाये तो प्रतिवादी के अधिभोग और नियन्त्रण में नहीं है। इस स्थिति का स्पष्टीकरण रीढ़ त्नाम ल्वायन्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड के बाद से किया जा सकता है। इस मामले में वादी प्रतिबादी के गोला बारूद के कारखाने में एक कर्मचारी थी। प्रतिवादी के परिसर के भीतर जब वह अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रही थी, तब एक गोला, जिसका वहां निर्माण हो रहा था, फट गया और उसके कारण बादी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रतिवादी की ओर से उपेक्षापूर्ण । कार्य किये जाने का कोई प्रमाण नहीं था। यद्यपि कि वह गोला, जिसका विस्फोट हुआ था, एक खतरनाक वस्तु की कोटि में आता था, फिर भी, यह धारित किया गया कि

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि प्रतिवादी के परिसर के बाहर निकलकर नहीं गई थी, अते: इस मामले में रायलैण्ड्स बनाम फ्लैचर का नियम लागू नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी धारित किया गया कि विषैले वृक्षों की डालों को पड़ोसी की भूमि पर फैलने देना किसी वस्तु का खीमा से बाहर निकलना है। और यदि पड़ोसी की भूमि पर विधिपूर्ण रीति से विद्यमान पशु इन वृक्षों की पत्तियों को खाकर विषग्रस्त हो जाते हैं तो इस नियम। के अन्तर्गत प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। परन्तु जहां वादी के घोड़े के ही स्वयं प्रतिवादी की सीमा के भीतर अनधिकृत प्रवेश किया है और एक विषैले वृक्ष के पत्ते खाने के कारणा मर जाता है, वहाँ प्रतिवादी उत्तरद्रायी, नहीं होगा क्योंकि मामले में किसी वस्तु की सीमा के बाहर जाने से क्षति कारित नहीं हुई।

(3) भूमि का असहज-अस्वाभाविक प्रयोग (Non-natural use of land)

रायलैण्ड्स बनाम **फ्लैचर** के मामले में अपनी भूमि पर एक जलाशय में अतिशय मात्रा में जल का एकत्र किया जाना भूमिका असहज अस्वाभाविक प्रयोग (non-natural use)माना गया है। घर के सामान्य प्रयोजनों के लिये जल का एकत्र किया जाना सहज स्वाभाविक प्रयोग (natural use) माना गया है। भूमि का प्रयोग तभी असहज अस्वाभाविक प्रयोग माना जाता है जब वह कोई विशेष प्रयोग हो जिससे दूसरों के प्रति खतरा बढ़ जाये और वह भूमि का मात्र साधारण प्रयोग न हो जो कि समुदाय के सामान्य हित के लिये हो । सोचाकी बनाम सास के मामले में यह धारित किया गया है कि यदि किसी मकान में

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

P.G.S National College Of Law

अंगीठी की अन्दर आग जलाई जाती है तो वह कमरे में स्थापित आग का साधारण सहज स्वाभाविक, उचित और दिन प्रतिदिन का प्रयोग है। यदि यह आग समीप के परिसरों तक में फैल जाती है। तो रायलैण्ड्स बनाम फ्लेचर के अन्तर्गत उत्तरदायित्व नहीं बनता। इसी प्रकार, नोवल बनाम हैरिसन के बाद में यह धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की भूमि पर ऐसे वृक्ष उगे हैं जो जहरीले नहीं हैं तो वह भूमि का असहज स्वाभाविक प्रयोग नहीं है। इस मामले में प्रतिवादी की भूमि पर उगे जहरीले वृक्ष की एक डाल जो राजमार्ग के ऊपर तक फैली थी, अचानक टूट गई और वादी की गाड़ी पर गिर पड़ी जो उस राजमार्ग से गुजर रही थी। डाल के टूट कर गिरने का वृक्ष में कुछ अदृश्य खराबी थी। यह धारित किया गया प्रतिवादी को रायलैण्डस बनाम फ्लैचर के नियम के अन्तर्गत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वृक्षों का उगना भूमि का सहज अस्वाभाविक प्रयोग है। किन्तु किसी विषैले वृक्ष का भूमि पर उगना भूमि का असहज अस्वाभाविक प्रयोग है और पड़ोसी की भूमि के पशु ऐसे वृक्ष की पत्तियों को खाकर मर जाते हैं सी प्रतिवादी इस नियम के अन्तर्गत उत्तरदायी होगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

रायलैण्ड्स बनाम **फ्लैचर** और कुछ पश्चात्वर्ती निर्णयों द्वारा इस नियम के निम्न अपवाद मान्य किये गये हैं

(1) वादी का स्वयं का दोष (Plaintiffs own default);

(2) दैव कृत (Act of God);

(3) वादी की सम्मति (Consent of the Plaintiff);

(4) तृतीय पक्षकार का कार्य (Act of third party);

(5) सांविधिक प्राधिकार (Statutory authority)।

(1) वादी का स्वयं का दोष (Plaintiff's own default) **रायलैण्ड्स** बनाम **फ्लैचर** में ही वादी के स्वये अपने दोष से बाहर निकल कर वस्तु से कारित क्षति को प्रतिरक्षा का एक उचित तर्क माना गया है यदि वादी स्वयं ही प्रतिवादी की सम्पत्ति पर अनाहूत प्रवेश करने के कारण क्षतिग्रस्त होता है तो वह इस प्रकार कारित क्षति के लिये वाद नहीं ला सकता। पोटिंग बनाम नोक्स29 के वाद में प्रतिवादी की भूमि पर एक विषैला वृक्ष था। वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर गया और उस विषैले वृक्ष के पत्ते खाने से उसकी मृत्यु हो गई। यदि वादी का घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर अनधिकृत प्रवेश न करता तो उसे कोई हानि नहीं हो सकती थी, इसलिये प्रतिवादी को उसके लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। रायलैण्ड्स बनाम फ्लैचर का नियम इस मामले में इसलिये भी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

नहीं लागू किया गया, क्योंकि यहाँ भी वस्तु प्रतिवादी के परिसर से निकल कर बाहर नहीं गई थी।

जब वादी की सम्पत्ति की क्षति का मुख्य कारण प्रतिवादी द्वारा एकत्रित किसी वस्तु का परिसर से बाहर निकलना न होकर स्वयं वादी की ही सम्पत्ति की असाधारण संवेदनशीलता हो तब वादी कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। **ईस्टर्न एण्ड साउथ अफ्रीकन टेलीग्राफ कम्पनी लिमिटेड** बनाम **केपटाउन ट्रामवेज कम्पनी** के वाद में वादी का पनडुब्बी समुद्रतार पारेषण प्रतिवादी के ट्राम पथ से विद्युत प्रवाह के बाहर निकलने के कारण व्यवधानित हो गया। यहाँ यह पाया गया था कि वादी के यन्त्र उपकरणों की अस्वाभाविक संवेदनशीलता के कारण यह क्षति कारित हुई थी और यह क्षति उन व्यक्तियों को उंद्घटित नहीं हो सकती थी जो साधारण व्यापार करते थे, अतः प्रतिवादी को विद्युत व्रिपलायन के लिये उत्तरदायी नहीं माना गया यहाँ पर विचार व्यक्त किया गया था कि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को किसी विशेष प्रयोग में लगाकर चाहे वह व्यापार के लिये किया गया हो अथवा आनन्द उपभोग के लिये, अपने पड़ोसी के दायित्य में वृद्धि नहीं कर सकता किसने fitsy persहिणीक

(2) दैवकृत (Act of God)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

रायलैण्डस बनाम **फ्लेचर** के बाद में ही न्यायाधिपति ब्लैकबन्न द्वारा दैवकृता को प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार किया गया था। जसमा कोसी के fein यदि वस्तु का प्रतिवादी के परिसर के बाहर निकलना अपूर्व-दुष्टि नहीं था और वह किसी मानव हस्तक्षेप के बिना तथा किन्हीं अलौकिक शक्तियों के कारण हुआ है तो दैवकृत की प्रतिरक्षा का अभिवचन किया जा सकता है। निकल्स बनाम मार्सलैण्ड का वाद यहाँ हमका संगत दृष्टान्त है। इस वाद में दैवकृत की प्रतिरक्षा का अभिवाक सफलतापूर्वक किया गया था। इस मामले में प्रतिवादी ने एक प्राकृतिक जल प्रवाह को बांधकर अपनी भूमि पर कृत्रिम झीलों का निर्माण किया। एक साल अत्यनत असाधारण वर्षा हुई, इतनी अधिक कि मानव स्मृति में उतनी वर्षा कभी हुई ही नहीं थी। इस जल प्रवाह के कारण झीलें इस प्रकार उमड़ पड़ी कि इन झीलों के निमित्त जो बांध बनाये गये थे, और जो किसी साधारण वर्षा के निमित्त पर्याप्त सशक्त थे, अचानक टूट गये। इतने तीव्र जल प्रवाह के परिणामस्वरूप वादी के चार पुल बह गये । वादी में इस क्षति के निमित्त नुकसानी प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की। यह धारित किया गया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि इस मामले में दुर्घटना का कारण दैवकृत था।

(3) वादी की सम्मति (Consent of the Plaintiff)b awo eltonich) PS PE E SE (r)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

ऐसे मामले में जहाँ वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर खतरनाक वस्तु के संग्रहण की सम्मति (Valenti non fit injuria) दे दी है वहां रायलैण्ड्स बनाम फ्लैचर के नियम के अन्तर्गत उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं होता। जहाँ खतरे का स्रोत वादी और प्रतिवादी दोनों के लिये सामान्य लाभ की है ऐसी सम्मति जहाँ विवक्षित होती है। उदाहरण के लिये, जब दो व्यक्ति एक ही भवन के दो भिन्न मंजिलों में रहते हों, तब यह मास लिया जाता है कि प्रत्येक ने सामान्य लाभ की वस्तुओं के प्रस्थापन जैसे जल प्रणाली, गैस पाइप अथवा विद्युत तार आदि के निमित्त अपनी अपनी सम्मति दे दी है। प्रतिवादी ऐसी वस्तु के परिसर से बाहर निकल जाने के लिये तब तक उत्तरदायी न होगा, जब तक कि उसकी ओर से उपेक्षापूर्ण कार्य न किया गयी हो। कारस्टेयर बनाम टेलर के बाद में वादी ने प्रतिवादी से भवन का निचला भाग किराये पर लिया था भवन की ऊपरी मंजिल स्वयं प्रतिवादी के अधिभोग में थी। ऊपर की मंजिल पर भांडारितजल प्रतिवादी के बिना किसी उपेक्षा के रिसने लगा जिसके परिणामस्वरूप भवन के निचले भाग में रखा गया वादी का भाल असबाव क्षतिग्रस्त हो गया। जल, चूंकि वादी और प्रतिवादी दोनों के ही लाभ के लिये भाण्डारित किया गया था, अतः प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया । ।

(4) तीसरे पक्षकार का कार्य (Act of Third Purty)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

यदि क्षति किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य के परिणामस्वरूप कारित हुई है, जो न तो प्रतिवादी का सेवक है और न ही अभिकर्ता और न ही जिस पर प्रतिवादी का कोई नियन्त्रण है, तो प्रतिवादी इस नियम के अन्तर्गत उत्तरदायी नहीं होगा

(5) सांविधिक प्राधिकार (Statutory Authority) ऊपर यह देखा जा चुका है38 कि अपकृत्य के निमित्त की गई किसी कार्यवाही में सांविधिक प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य का किया जाना प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में मान्य है। प्रतिरक्षा का यह तर्क उस समय भी सुलभ है जब कार्य रायलैण्ड्स बनाम फ्लैचर के नियम के अन्तर्गत आता हो 39 किन्तु सांविधिक प्राधिकार को प्रतिरक्षा के अभिवाक् के रूप में उस स्थिति में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब कार्य उपेक्षा से परिपूर्ण है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.